भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर परिसर में साइकिल प्रोटोकॉल

(I) <u>परिसर में साइकिल रखना</u>

हरित पहल की ओर, संस्थान पैदल चलने को प्रोत्साहित करता है और शारीरिक व्यायाम के हित में छात्रों और अन्य समुदाय के सदस्यों को साइकिल रखने की अनुमति है। छात्रों को परिसर में केवल मैनुअल साइकिल रखने की अनुमति है।

(II) <u>साइकिल सुरक्षा सलाह</u>

निम्नलिखित सलाह परिसर में साइकिल सुरक्षा के लिए सामान्य सुझाव और सिफारिशें हैं।

- i. अपनी साइकिल को सुरक्षित और लॉक करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले लॉक और चेन या अन्य उपकरण का उपयोग करें।
- ii. संस्थान किसी भी व्यक्ति की साइकिल की सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रखता है। यदि वह साइकिल रखना चाहता है तो उसे उपयोग में लाना पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी है।
- iii. लॉक की गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए तथा लॉक को अन्य चाबियों से नहीं खोला जाना चाहिए।
- iv. यदि ताला अन्य चाबियों से खुलने योग्य पाया जाता है, तो मालिक को बिना किसी देरी के ताला बदलना होगा।
- v. साइकिल को केवल शैक्षणिक भवनों के साथ-साथ आवासीय भवनों के पास निर्दिष्ट स्थानों पर ही पार्क करें।
- vi. अपने कनिष्ठों से किसी भी कारणवश साइकिल न मांगें।
- vii. पासवर्ड (नंबर लॉक होने की स्थिति में) न बताएं और न ही अपनी चाबियां अन्य छात्रों को दें।
- viii. अपनी साइकिल को सुरक्षा टीम के पास पंजीकृत कराएं। इसके लिए बिल, अपने दस्तावेज जैसे पहचान पत्र साइकिल के बिल इत्यादि की फोटोकॉपी ईसीआर (आपातकालीन नियंत्रण कक्ष) में निर्धारित समय पर ले जाएं। ईसीआर में तैनात पर्यवेक्षक साइकिल के तत्काल पंजीकरण में मदद करेंगे और सुरक्षा विभाग की तकनीकी टीम की मदद से पहचान चिह्न देंगे।
 - यदि आप अपने मित्र/विरष्ठ से साइकिल खरीद रहे हैं तो उससे उचित प्राधिकार पत्र लें।
 - रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए बदलाव के बारे में सुरक्षा ईसीआर को सूचित करें।

- IX. परिसर में साइकिल खो जाने की स्थिति में, 500/- रुपये प्रति घटना के शुल्क के आधार पर सीसीटीवी देखने की अनुमति दी जाएगी।
- X. यदि मालिक द्वारा साइकिल को खुला छोड़ दिया गया हो तो ईसीआर द्वारा 200/- रुपए वसूल किए जाएंगे; ऐसा न करने पर छात्र पर 500/- रुपए बकाया हो जाएगा, जो निकासी के समय वसूला जाएगा।
- x. दूसरों की साइकिल को जानबूझकर ले जाने वाले व्यक्ति से 1000/- रुपए वसूले जाएंगे।
- xi. सेमेस्टर की समाप्ति, मध्याविध, छुट्टी आदि के अवसर पर परिसर से बाहर जाने की स्थिति में साइकिल को छात्रावास के पार्किंग स्थल/निर्दिष्ट क्षेत्र में पार्क करना होगा। छात्रावास टीम निर्दिष्ट करेगी और सुरक्षा टीम इस उद्देश्य के लिए पार्किंग स्थल पर अलग स्थान आवंटित करने में सहायता करेगी।

प्रोटोकॉल इतिहास

प्रभावी: अक्टूबर 2024

<u>अस्वीकरण</u>

Indian Institute of Technology Indore Bicycle Protocols on campus

(I) KEEPING BICYCLES ON CAMPUS

Towards the green initiative, the Institute encourages to walk and in the interest of physical exercise the students and other community members are allowed to keep bicycles. Students are only allowed to keep manual bicycles on the campus.

(II) BICYCLE SECURITY ADVISORIES

The following Advisories are general suggestions and recommendations for bicycle safety while on campus.

- i. Use a good quality of lock and chain, or other equipment suitable to secure and lock your bicycle.
- ii. The Institute does not hold any responsibility whatsoever for the safe custody of the bicycle of any individual. It is solely his/her responsibility to keep the bicycle using if he/she wishes to keep one.
- iii. The quality of the lock should not be opened by other keys.
- iv. If the lock is found to openable by other keys, the owner needs to replace the lock without any delay.
- v. Park the bicycles only at the designated places near the academic buildings as well as the residential buildings.
- vi. Do not ask bicycles for any reason(s) from your juniors.
- vii. Do not disclose the password (in case of the number lock) or share your keys to other students.
- viii. **Get your bicycle registered with the security team.** For this the xerox copies of the documents like the bill, your id cards to be taken to the ECR (Emergency Control Room) may be taken at the designated time. The supervisor posted at the ECR will help with the immediate registration of the bicycle and give an identification mark with the help of the technical team of the security department.
 - A Proper authority letter to be taken from your friend/senior if purchasing the bicycle from your friend/senior.
 - o Inform the security ECR regarding change for the update of records.
- ix. In the event of misplacing of the bicycle on the campus, CCTV viewing will be allowed on a chargeable basis at Rs. 500/- per instance.
- x. In case the bicycle was left unlocked by the owner; additional charges of Rs. 200/- will be collected by the ECR; failing to do so will render and amount of Rs. 500/- dues against the student which shall be collected at the time of clearance.

- xi. An amount of Rs. 1000/- will be collected from the individual who has taken any of the other's bicycle intentionally.
- xii. In the event of going out of campus on the occasion of the end of the semester, midterm, leave etc, the bicycle needs to be parked at the parking lot/designated area(s) of the hostels. The hostel team will specify & security team will facilitate to allocate separate space at the parking lot for the purpose.

Protocol History

Effective: October 2024

Disclosure

In case of any dispute only the English version will be referred.